214

न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

निग-4089-II-15

1. विवेक वर्मा तनय श्री रामस्वरूप वर्मा, उम्र – 35 वर्ष, पेशा – खेती व व्यवसाय, निवासी– मोहल्ला उर्रहट रीवा तह० हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
2. काशी प्रसाद कुशवाहा तनय स्व0 सूर्यदीन कुशवाहा उम्र 49 वर्ष, पेशा–खेती निवासी–ग्राम देवरा/खटखरी तह0 हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. उर्मिला गुप्ता पुत्री स्व0 श्री रामचंद्र गुप्ता पति स्व0 श्री श्यामलाल गुप्ता उम्र – 50वर्ष, पेशा–घरू कार्य, निवासी–ग्राम खटखरी तह0 हनुमना जिला रीवा(म0प्र0)
2. शासन म0प्र0

.... गैरनिगरानीकर्तागण

श्री ... द्वारा आज दि. 22.12.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त खटखरी प्रभारी अधिकारी तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 का प्रकरण क्रमांक 105अ6/14–15 व आदेश दिनांक 26.11. 2015 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य

यह कि श्री रामचंद्र गुप्ता के स्वत्व, अधिपत्य व हिस्से की भूमियां गृह ग्राम खटखरी में स्थित हैं तथा स्व0 रामचंद्र गुप्ता के दो पुत्रियां रधिया एवं उर्मिला गुप्ता हैं। रधिया की मृत्यु हो चुकी है, उसके वारिस उसके हक व अधिपत्य की भूमियों पर काबिज दखिल हैं। उर्मिला गुप्ता ने अपने हक व आधिपत्य की आराजी नं0 418 का आंशिक रकवा 0.462 हेक्ट0, आराजी नं0 419 का आंशिक रकवा 0.053 हेक्ट0, आराजी नं0 420

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4089-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.3.16	मैंने आवेदक अधिवक्ता के पुनः तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया । यह सुस्थापित है कि नामान्तरण की कार्यवाही से किसी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होते, ना ही उनका हनन होता है । नामान्तरण की कार्यवाही का उद्देश्य वैध आधारों पर किसी व्यक्ति को प्राप्त अधिकार को राजस्व अभिलेखों में सही -सही दर्शाना है, और राजस्व अभिलेखों में इस प्रकार की प्रविष्टि नामान्तरण के आवेदन के समय विद्यमान आधारों पर ही विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए की जाएगी जब तक उसे किसी सक्षम आदेश से स्थगित या विलम्बित ना किया गया हो । वर्तमान प्रकरण में आपत्तिकर्ता	

[क्र. प. उ.

संगमलाल द्वारा प्रश्नाधीन नामान्तरण की कार्यवाही को स्थगित करने हेतु यदि कोई सक्षम आदेश प्रस्तुत किया जा सकता हो तो वह उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। आक्षेपित आदेश दि. 26-11-15 के परिशीलन से ना.तह. के समक्ष संगमलाल द्वारा मान. उच्च न्या. से स्थगनादेश या रा.मं. के यहाँ बताए गए प्रकरण की details या श्री.म. से स्थगन आदि कुछ भी पेश नहीं किया गया है।

अतः, संबंधित ना.तह. हनुमना को यह निर्देश दिया जाता है कि वे न्यायहित में एक बार पुनः आपत्तिकर्ता संगमलाल को सक्षम न्यायालय का स्थगनादेश प्रस्तुत करने

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4089-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	का अवसर दें, और उसके उपरान्त अपने न्यायालयीन प्र.क्र. 105/अ 6/14-15 में बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें। नायब तहसीलदार के आक्षेपित आदेश दि. 26.11.15 अपास्त करते हुए यह निगरानी रा.मं. से समाप्त की जाती है। आदेश पारित। पक्षकार एवं ना. तह. हनुमना सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। (हस्ताक्षर)	

[कृ. प. उ.